

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

एआईडी संख्या: UPFS/2024/128156/GZB/GHAZIABAD/7309/CFO

दिनांक: 14-08-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स JAWAHAR LAL NEHRU GIRLS PUBLIC SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता JAWAHAR LAL NEHRU GIRLS PUBLIC SCHOOL SITUATED AT, J-BLOCK, SHASTRI NAGAR, GHAZIABAD तहसील - GHAZIABAD, प्लॉट एरिया 4219.23 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 2600.00 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
JAWAHAR LAL NEHRU GIRLS PUBLIC SCHOOL	4	0	13.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स JAWAHAR LAL NEHRU GIRLS PUBLIC SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओसी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 17-08-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री ROHIT KUMAR SINGH के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओसी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 17-08-2024 से 17-08-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स JAWAHAR LAL NEHRU GIRLS PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसे लिए मैसर्स JAWAHAR LAL NEHRU GIRLS PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : यह अनापत्ति प्रमाण निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत किया जा रहा है। 1-अर्ह अभिकर्ता/अग्निशमन अभियन्ता से वर्ष में न्यूनतम एक बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करें। 2-फायर उपकरणों का वार्षिक एनओसी0/ मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाये। 3-विधुत सुरक्षा निदेशालय का विधुत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 4-भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा, यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Rahul Pal)

[AC551D1C1977502518FD17F7DCFBA9B10AD96EDA]

17-08-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 17-08-2024
स्थान : GHAZIABAD

Raj Kumar Singh
J.L. Nehru Junior High School Society
Shastri Nagar, Ghaziabad